

# फर्द अहकाम

(भाग 26)

अज अचालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

छगन लाल पिता गैरु गीणा नि वेई

बनाम

रूपलाल पिता नाना गीणा नि. वेई वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 128/2021

तारीख हुगम	हुगम या कार्यवाही गय इनिशियल्स अज	नामा व तारीख अहकाम से हुगम की तारीख में अहकाम
01.12.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशारण गौवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम वेई प. ह. वेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 234/5, 243/8, 243/9 कुल कित्ता 3 रकबा 0.7203 है, स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। सीमा बिन्दु को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते हैं। आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की रथाई सीमा बिन्दु की जानकारी नहीं होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2078 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने वाकत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट रवीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम वेई प. ह. वेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 234/5, 243/8, 243/9 कुल कित्ता 3 रकबा 0.7203 है, की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 01.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)